

कार्यालय उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय परिसर सहस्त्रधारा रोड देहरादून
Website www.ukmssb.org, Mail ID ukmssbdun@gmail.com Ph.N. 0135-2608566

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या— 11

दिनांक 27, दिसम्बर, 2016

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवसृजित नर्सिंग संस्थानों में स्वीकृत एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर/प्रवक्ता एवं ट्यूटर के पदों को नियत वेतन/संविदा पर एक वर्ष के लिए चयन के आयोजन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नवसृजित नर्सिंग संस्थानों में स्वीकृत एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर/प्रवक्ता के पदों को नियत वेतन/संविदा पर एक वर्ष के लिए तैनात किये जाने के लिए दिनांक 26.02.2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे स्थान चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्द्रनगर देहरादून उत्तराखण्ड में एक वॉक-इन-इन्टरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ट्यूटर के पदों को नियत वेतन/संविदा पर एक वर्ष के लिए भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को इस आयोजन में भाग लेने व आवेदन किये जाने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेब साईड www.ukmssb.org में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करें।

सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

कार्यालय उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय परिसर सहस्रधारा रोड देहरादून
Website www.ukmssb.org , Mail ID ukmssbdun@gmail.com Ph.N. 0135-2608566

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या-11

दिनांक: 27, दिसम्बर, 2016

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवसृजित नर्सिंग संस्थानों में स्वीकृत ट्यूटर के पदों को नियत वेतन/संविदा पर एक वर्ष के लिए चयन के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण।

ट्यूटर पद हेतु-

1. रिक्त पदों की स्थिति :

(ग) ट्यूटर के पद -33 पदों का श्रेणीवार विवरण :-

(नोट-उत्तराखण्ड के अधिवासी जो दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से विकलांग होने वाले अभ्यर्थी से भरा जायेगा।)

आरक्षित श्रेणी	भरे जाने वाले पदों की संख्या	महिलायें	स्व0सं0सैनानी	पूर्व सैनिक	विकलांग
		30%	02%	05%	03%
अनुसूचित जाति	07	02	—	—	—
अनु0जन जाति	01	—	—	—	—
अ0पि0वर्ग	04	01	—	—	—
अनारक्षित	21	06	—	01	01
योग	33	09	—	01	01

1. राष्ट्रीयता - अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2. शैक्षिक अर्हता - ट्यूटर के लिए अभ्यर्थी के लिए दिनांक 01 जुलाई 2016 को एम0एस0सी0 (नर्सिंग) या बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के साथ 1 वर्ष का अनुभव।

3. अनिवार्य अर्हता - चयन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

4. वांछित अर्हता - अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा उत्तराखण्ड प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

5 अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को चयन के मामले अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(ii) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

6. आयु— ट्यूटर के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जुलाई 2016 को न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी आवश्यक है।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की गयी है।

7. नियत वेतन – ट्यूटर के लिए नियत वेतन शासनादेश संख्या 693XXVIII(1)/2010-34/2009-TC-11 दिनांक: 24.06.2010 एवं शासनादेश संख्या-733 XXVIII(1)/2010- दिनांक: 06.07.2010 के प्राविधानानुसार होगा।

8. शुल्क— उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रू0 500/- देय होगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक "ड्राफ्ट" के माध्यम से "उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून" के नाम का जो देय देहरादून पर होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक बार जमा किया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। बिना शुल्क जमा किये गये आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टिया अस्वीकृत किया जायेगा।

9. चरित्र – अभ्यर्थी सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

10. शारीरिक स्वस्थता –अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जाएगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हों।

11. चयन का आधार – अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थी के शैक्षिक व व्यवसायिक योग्यता की श्रेष्ठता (Merit) के आधार पर किया जायेगा।

12. आवेदन पत्र – ट्यूटर के लिए अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात डाउनलोड कर अपना प्रिंट आउट (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्व: प्रमाणित प्रतियों सहित) निकाल कर "सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, परिसर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सहस्त्रधारा रोड, पोस्ट ऑफिस-गुजराड़ा, देहरादून। पिन कोड 248013" के नाम पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी 2017 के अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। पोस्ट किये गये लिफाफे के बाहर से ऑनलाईन ऐपलिकेशन का नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड दिनांक 20 फरवरी 2017 के सायं 05:00 बजे तक

खुला रहेगा उसके उपरान्त वेबसाईट से डाउनलोड करने की सुविधा बन्द कर दी जायेगी।

13. श्रेष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में लिखे गये E-Mail ID व दिये गये फोन नम्बरों में SMS के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सूचित किया जायेगा।

14. मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा। 2. ट्यूटर के रिक्त पदों को नियत वेतन/संविदा में चयनित संकाय सदस्यों की कार्यावधि सीधी भर्ती से नियमित संकाय सदस्यों के नियुक्ति होने तक अथवा शिक्षण सत्र 2016-17 की समाप्ति जो भी पहले हो तक की होगी।

15. नियत वेतन/संविदा के आधार पर भरे जाने वाले संकाय सदस्यों की नियुक्ति के स्थान पर आबद्धता समझी जायेगी

16. किसी भी समय नियत वेतन पर रखे जाने वाले संकाय सदस्यों को एक माह का नोटिस देकर हटाया जा सकता है।

17. कोई अभ्यर्थी यदि कही सेवारत हो, तो वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे।

सचिव
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।